

सेवा में,
सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्य / प्रमुख
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय:- टर्म-I परीक्षा व्यय के भुगतान के लिए आईपीएस के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

यह सूचित किया गया था कि बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्रों को आईपीएस के माध्यम से निम्न भुगतान किए जाएंगे:-

1. नियमानुसार टर्म- I परीक्षा के संचालन पर किया गया व्यय
2. टर्म-I के संचालन में शामिल सभी पदाधिकारियों को भुगतान

सीबीएसई ने अब बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली परीक्षण और लेखापरीक्षा के अधीन है। बोर्ड दोनों प्रक्रियाओं को इस तरह से पूरा करने का प्रयास कर रहा है कि भुगतान प्रणाली 28.04.2022 तक चालू हो सके।

केंद्रों को परीक्षा में झूठी सौंपे गए व्यक्ति का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। अधिकांश गणना प्रणाली द्वारा ही की जाएगी।

इस बीच, यह अनुरोध किया जाता है कि व्यक्ति का नाम, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड और झूठी विवरण एकत्र किया जाए ताकि जैसे ही प्रणाली चालू हो जाए, दावे भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जा सकें।

इस प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव, यदि कोई हों, तो मेल आईडी suggestions.cbseips@cbseshiksha.in पर भेजे जाएं ताकि एक समान प्रणाली टर्म- II परीक्षा के लिए पहले से तैयार हो सके।

हस्ता/-
(डॉ संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक